5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(33)

निगरानी 1148-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

1– पप्पू पुत्र श्री लालाराम
2– गोविन्द पुत्र श्री दलेल सिंह
3– बाबूलाल पुत्र श्री लालाराम
4– भैयालाल पुत्र श्री लालाराम
5– अशोक पुत्र श्री लालाराम
6– गोलू पुत्र श्री लालाराम
निवासीगण – ढुडेर तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री ... द्वारा ... दि. 21.5.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 21/5/15

विरूद्ध

1– जसराम पुत्र श्री जयराम निवासी ग्राम ढुडेर तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2– मध्य प्रदेश शासन

.......अनावेदकगण

8 ... 21/5/15

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम ढुडेर में स्थित भूमि सर्वे न. 153/4 ग रकवा 0.500 है0, का सीमांकन कराये जाने हेतु अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया।
2. यहकि, विवादित भूमि के उक्त सर्वे नँ. पर आवेदकगण का निरन्तर कब्जा कास्त करके सम्बत् 2050 से निरन्तर कास्त करके एवं आवास बनाकर चला आ रहा है। और उक्त भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 155 एवं 154 से लगी हुयी है। ऐसी स्थिति में भी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.**1148/दो** /2015 जिला अशोकनगर

पप्पू आदि विरूद्ध जसराज एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकर दिनांक 05-09-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	